राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 5522/2024

1. विजय शर्मा पुत्र श्री सुरेश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, 137, केन्द्रीय विद्यालय योजना, निकट एयरफोर्स, रातानाडा, जोधपुर।
2. प्रहलाद पुत्र श्री नागजी राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, रोडो की ढाणी, भीनमाल जिला जालोर.

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल, 119, माघ कॉलोनी, भीनमाल, जिला. जालोर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री फिरोज खान

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सी.पी. सोनी
श्री अजू वी. जोश (आर-2)
श्री विक्रम राजपुरोहित, पी.पी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

21/08/2024

1. इस न्यायालय से दिनांक 27.07.2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत पुलिस स्टेशन भीनमाल, जिला जालोर में दर्ज एफआईआर संख्या 0299/2024 को रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

2. याचिकाकर्ता (एफआईआर में आरोपी) और प्रतिवादी संख्या 2 (एफआईआर में शिकायतकर्ता) परिवार के सदस्य हैं। विवाद याचिकाकर्ता की दिवंगत दादी की संपत्ति से संबंधित है, जो शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की मां थी।

3. शिकायतकर्ता, चाचा ने आरोप लगाया है कि उसके दो भतीजों (याचिकाकर्ता) ने उसकी मां की वसीयत में जालसाजी की है और उसके आधार पर, उसकी मृत्यु के बाद, उन्होंने राजस्व अभिलेखों में संबंधित संपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित/उत्परिवर्तन करवा लिया है। इस प्रकार, राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश करके, उन्होंने उसे धोखा दिया है और आईपीसी की धारा 420/406/467/468/471 के साथ 120-बी के तहत कथित अपराध किए हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के तर्क

4.1 आरंभ में ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष के बावजूद, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 358 के प्रावधानों पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एक बार जब भारतीय दंड संहिता 01.07.2024 से निरस्त हो जाती है, तो उसके तहत निर्धारित अपराधों को शामिल करते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। केवल इसी आधार पर वह एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके अलावा, वह इसी पीठ द्वारा कृष्णा जोशी बनाम राजस्थान राज्य शीर्षक वाले मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हैं। उसी का हवाला देते हुए, वह तर्क देते हैं कि एक बार बीएनएसएस 1998 से लागू हो गया 01.07.2024 को पूर्वोक्त निर्णय के अनुसार, इसी प्रकार, बीएनएस की प्रयोज्यता की भी उसी प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि 1 जुलाई, 2024 के बाद केवल बीएनएस के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है, न कि आईपीसी के प्रावधानों को।

4.2 गुण-दोष के आधार पर, उनका तर्क है कि एफआईआर की विषय-वस्तु किसी भी अपराध के घटित होने का संकेत नहीं देती है।

4.3 एफआईआर रद्द की जा सकती है क्योंकि यह पूरी तरह से पारिवारिक विवाद है। संपत्ति का हस्तांतरण विधि के अनुसार विधिवत प्रलेखित/उत्परिवर्तित है। यदि कोई विवाद है, तो वह पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है।

5. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

5.1 इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा दिनांक 28.06.2024 को एक प्रशासनिक परिपत्र जारी किया गया है। उक्त परिपत्र 01.07.2024 के बाद एफआईआर दर्ज करने को नियंत्रित करता है, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

अपराध घटना	अपराध दर्ज करने/	कौन सा दंड कानून लागू	कौन सा प्रक्रियात्मक

की तारीख	रिपोर्ट करने की तिथि	होगा	कानून लागू होगा
यदि 01/07/2024 से पहले	यदि 01/07/2024 से पहले	भारतीय दंड संहिता, 1860	दंड प्रक्रिया संहिता, 1873
यदि 01/07/2024 से पहले	यदि 01/07/2024 से बाद	भारतीय दंड संहिता, 1860	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
यदि 01/07/2024 से बाद	यदि 01/07/2024 से बाद	भारतीय न्याय संहिता, 2023	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

5.2. प्रस्तुतीकरण यह है कि परिपत्र के अनुसार आईपीसी के तहत एफआईआर सही तरीके से दर्ज की गई है। इस प्रकार इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

5.3 वह और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील एक स्वर में आगे तर्क देंगे कि, वर्तमान मामले में, हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.07.2024 को यानी 01.07.2024 के बाद दर्ज की गई थी, लेकिन चूंकि कथित अपराध की तारीख 05.10.2021 है (जब वसीयत कथित रूप से आरोपी द्वारा जाली / बनाई गई थी) यानी 01.07.2024 से पहले, इसलिए, 28.06.2024 के आदेश के अनुपालन में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सही ढंग से दर्ज की गई है। हालांकि, विद्वान लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि आगे की जांच और प्रक्रियात्मक पहलू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा, न कि सीआरपीसी के तहत, क्योंकि एफआईआर 01.07.2024 के बाद की है।

5.4 शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (1) पर भरोसा करते हुए तर्क देंगे कि वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा आरोपित कार्य या चूक उसके किए जाने के समय आईपीसी के तहत अपराध था, इसलिए इसके साबित होने की स्थिति में, उन्हें उस कार्य के किए जाने के समय लागू कानून यानी आईपीसी के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जाएगा।

6. अब मैं प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करूंगा और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद कारणों और चर्चा को दर्ज करके अपनी राय दूंगा।

7. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने और उन पर निर्णय देने के लिए, कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार और निर्णय की आवश्यकता है:

(क) क्या 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए

गए अपराधों के लिए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं?

(ख) क्या 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने के बाद (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं?

(ग) 01.07.2024 से पहले आईपीसी के तहत किए गए अपराधों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी?

8. आगे विस्तार से बताने से पहले, आइए हम बीएनएस की धारा 358 और बीएनएसएस की धारा 531 में निहित प्रासंगिक निरसन और बचत प्रावधानों को पढ़ें, जो इस प्रकार हैं:-

भारतीय न्याय संहिता/बीएनएस:

धारा 358 - निरसन और बचत

(1). भारतीय दंड संहिता को इसके द्वारा लोपित किया जाता है।
(2). उपधारा (1) में निर्दिष्ट संहिता के निरसन के बावजूद, यह प्रभावित नहीं करेगा, -

(क) इस प्रकार निरस्त संहिता के पिछले संचालन या विधिवत की गई किसी भी चीज़ या

(ख) इस प्रकार निरस्त संहिता के तहत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या ज़िम्मेदारी; या

(ग) इस प्रकार निरस्त संहिता के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कोई जुर्माना या दंड; या

(घ) किसी भी ऐसे दंड या सजा के संबंध में कोई जांच या उपाय; या

(ङ) उपरोक्त किसी दंड या सजा के संबंध में कोई कार्यवाही, जांच या उपाय, तथा ऐसी कोई कार्यवाही या उपाय संस्थित, जारी या लागू किया जा सकेगा, तथा ऐसा कोई दंड लगाया जा सकेगा मानो वह संहिता निरस्त न की गई हो।

(3) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त संहिता के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया कार्य इस संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन किया गया माना जाएगा।

(4) उपधारा (2) में विशेष मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस):

"531. निरसन और व्यावृत्तियाँ-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद-

(क) यदि इस संहिता के लागू होने की तारीख से ठीक पहले कोई अपील, आवेदन, परीक्षण या जांच लंबित है, तो ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, या जांच, जैसा भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, जारी रखी जाएगी, आयोजित की जाएगी या की जाएगी, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी (जिसे इसके बाद उक्त संहिता कहा जाएगा), मानो यह संहिता लागू ही नहीं हुई थी;

(ख) प्रकाशित सभी अधिसूचनाएँ, जारी की गई घोषणाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ, स्थानीय नियमों द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र उक्त संहिता के अधीन बनाए गए परिभाषित अधिकार क्षेत्र, पारित किए गए दंड और आदेश, नियम और नियुक्तियां, जो विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्तियां नहीं हैं, और जो इस संहिता के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू हैं, उन्हें क्रमशः इस संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित, जारी, प्रदान, निर्दिष्ट, परिभाषित, पारित या बनाया गया माना जाएगा;

(ग) उक्त संहिता के अधीन दी गई कोई मंजूरी या सहमति जिसके अनुसरण में उस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी, उसे इस संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दी गई या दी गई समझा जाएगा और ऐसी मंजूरी या सहमति के अनुसरण में इस संहिता के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी;

(3) जहां उक्त संहिता के तहत किसी आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट अवधि इस संहिता के प्रारंभ होने पर या उससे पहले समाप्त हो गई

हो, वहां इस संहिता में कोई भी बात केवल इस तथ्य के आधार पर नहीं समझी जाएगी कि इस संहिता द्वारा इसके लिए अधिक लंबी अवधि निर्दिष्ट की गई है या इस संहिता में समय के विस्तार के लिए प्रावधान किए गए हैं।"

9. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का निरसन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा -

(क) इस प्रकार निरस्त संहिता के पिछले संचालन या विधिवत की गई किसी भी बात को या

(ख) इस प्रकार निरस्त संहिता के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या ज़िम्मेदारी को; या

(ग) इस प्रकार निरस्त संहिता के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध के संबंध में दी गई किसी भी सजा या दंड को।

10. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 इस प्रकार है:-

"20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण-

(1) किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस अधिनियम के किए जाने के समय लागू कानून के उल्लंघन के, जिस पर अपराध के रूप में आरोप लगाया गया है, और न ही उस पर उस दंड से अधिक दंड लगाया जाएगा, जो अपराध किए जाने के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था।
(2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
(3) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।"

11. अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को केवल कथित कृत्य या चूक के समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए ही दोषी ठहराया जा सकता है और उस पर उस दंड से अधिक दंड नहीं लगाया जा सकता जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था।

12. मेरी राय में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और बीएनएस की धारा 358 के पूर्वोक्त बचत प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि आईपीसी 01.07.2024 से पहले अर्जित या वहन किए गए किसी भी दायित्व, देयता, दंड या सजा पर लागू होगा। दूसरे शब्दों में, 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के संबंध में, अपराधी को 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद भी आईपीसी के तहत निपटाया और दंडित किया जा सकता है/किया जाना चाहिए। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए, आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

13. इस संदर्भ में, दीपू और अन्य बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के फैसले में कहा गया है कि, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ने निम्नानुसार माना है:

> 16. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय बीएनएस और बीएनएसएस द्वारा क्रमशः आईपीसी और सीआरपीसी को निरस्त करने के प्रभाव के संबंध में कानून का सारांश भी दे रहा है और इसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:
>
> (i) यदि 1.7.2024 से पहले किए गए अपराध के लिए 1.7.2024 को या उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, तो आईपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन जांच बीएनएसएस के अनुसार जारी रहेगी।
>
> (ii) 01.07.2024 (नए आपराधिक कानूनों के शुरू होने की तिथि) को लंबित जांच में, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिए जाने तक सीआरपीसी के अनुसार जांच जारी रहेगी और यदि सक्षम न्यायालय द्वारा आगे की जांच के लिए कोई निर्देश दिया जाता है तो वह सीआरपीसी के अनुसार जारी रहेगी;
>
> (iii) लंबित जांच पर संज्ञान 01.07.2024 के बाद या उसके बाद कोई भी मामला बीएनएसएस के अनुसार लिया जाएगा और जांच, परीक्षण या अपील सहित सभी बाद की कार्यवाही बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी।
>
> (iv) बीएनएसएस की धारा 531 (2) (ए) में केवल लंबित जांच, परीक्षण, अपील, आवेदन और जांच को बचाया गया है, इसलिए, यदि कोई परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण या आवेदन 01.07.2024 के बाद शुरू किया जाता है, तो उस पर बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(v) 01.07.2024 को लंबित मुकदमा, यदि 01.07.2024 को या उसके बाद समाप्त होता है, तो ऐसे मुकदमे में पारित निर्णय के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण बीएनएसएस के अनुसार होगा। हालांकि, यदि कोई आवेदन अपील में दायर किया जाता है, जो 01.07.2024 को लंबित था, तो सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होगी।

(vi) यदि आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र को 01.07.2024 को या उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जहां जांच सीआरपीसी के अनुसार की गई थी, तो इसे बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर किया जाएगा, न कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत।

14. उपरोक्त चर्चा के आलोक में तथा दीपू एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, मैं यह मानने के लिए इच्छुक हूं कि यदि 1.7.2024 से पहले किए गए अपराध के लिए 1.7.2024 को या उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, तो आईपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

15. उपरोक्त राय के अनुसार, मैं इस बात पर खुद को राजी नहीं कर पा रहा हूं कि बीएनएस की धारा 358 की उपधारा 3 में यह परिकल्पना की गई है कि 01.07.2024 से पहले किए गए कार्यों का बीएनएस के संगत प्रावधान के तहत संज्ञान लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने धारा 358 के गैर-बाधा खंड/उपधारा 3 (जिसे सूर्यास्त खंड कहा जा सकता है) पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि "ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त संहिता के तहत किया गया कुछ भी या कोई भी कार्रवाई याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि 01.07.2024 से भारतीय दंड संहिता के निरस्त होने के बाद, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 358(3) के प्रावधानों के मद्देनजर इसके तहत निर्धारित अपराधों को शामिल करते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, मेरे विचार से, उप-धारा (2) के तत्काल पूर्ववर्ती प्रावधानों की अनदेखी करके उक्त प्रावधान के गलत अर्थ पर आगे बढ़ता है।

16. उपरोक्त पुनरुत्पादित संहिता की धारा 358 की उपधारा (2) और (3) के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के लिए बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि ये दोनों उपधाराएं अलग-अलग क्षेत्रों को कवर करती हैं। उपधारा (2) 01.07.2024 से पहले संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए अपराधी की देयता के क्षेत्र को कवर करती है। उपधारा (3) उक्त संहिता (आईपीसी) के तहत सक्षम

न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा 01.07.2024 से पहले किए गए कार्यों या की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन और संहिता के निरस्त होने के कारण उन पर सवाल उठाए जाने से सुरक्षा और प्रावधान करती है।

17. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील, यदि स्वीकार कर ली जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप अतार्किक और बेतुके परिणाम सामने आएंगे, साथ ही बीएनएस की धारा 358 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रावधानों के बीच विरोधाभास भी होगा। इसे और स्पष्ट करते हुए, जबकि उप-धारा (2) के अनुसार, 01.07.2024 से पहले संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए अपराधियों की देयता जारी रहेगी, लेकिन उप-धारा (3) के संचालन से, संहिता के निरस्त होने के बाद ऐसी देयता समाप्त हो जाएगी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि इस तरह की कोई भी व्याख्या अतार्किक होगी, स्पष्ट रूप से हास्यास्पद परिणामों को जन्म देगी, इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से प्रावधानों के उद्देश्य और स्पष्ट पाठ और विधानमंडल के इरादे के विपरीत होगी।

18. तदनुसार, ऊपर तैयार किए गए प्रश्न (ए) का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 01.07.2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए, 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने के बाद (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रश्न (ख) का उत्तर नकारात्मक है।

19. अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद दर्ज एफआईआर पर लागू प्रक्रिया के प्रश्न पर आते हैं, जो 01.07.2024 से पहले किए गए आईपीसी के तहत अपराधों के लिए है। धारा 531 बीएनएसएस की उपधारा (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता के निरस्त होने के बावजूद:

> (ए) यदि इस संहिता के लागू होने की तारीख से ठीक पहले कोई अपील, आवेदन, परीक्षण या जांच लंबित है, तो ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, या जांच का निपटारा, जारी रखना, आयोजित करना या करना, जैसा भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू था (जिसे आगे उक्त संहिता कहा जाएगा), जैसे कि यह संहिता लागू नहीं हुई थी।

20. यह देखा जाएगा कि उक्त खंड (ए) केवल तभी लागू होगा जब 01.07.2024 को बीएनएसएस के लागू होने के समय कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, या जाँच लंबित हो।

21. बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) में केवल लंबित जाँच, परीक्षण, अपील, आवेदन और जाँच को ही बचाया गया है, इसलिए, यदि 01.07.2024 के बाद कोई परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण या आवेदन शुरू हुआ है, तो उस पर बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि बीएनएसएस लागू होने के समय कोई जाँच लंबित नहीं थी, तो बीएनएसएस का बचत खंड 531(2)(ए) लागू नहीं होगा।

22. इसके अलावा, धारा 157 सीआरपीसी (धारा 176 बीएनएसएस) के अनुसार, जांच एफआईआर दर्ज होने की तारीख से शुरू होगी। तदनुसार, यदि एफआईआर 01.07.2024 को या उसके बाद पंजीकृत होती है, यानी बीएनएसएस लागू होने के बाद, तो जाहिर है कि जांच उसके पंजीकरण के बाद ही शुरू होगी, यानी बीएनएसएस लागू होने के बाद। दूसरे शब्दों में, 01.07.2024 को बीएनएसएस लागू होने के समय कोई जांच लंबित नहीं होगी। इसलिए, ऐसे मामले में खंड (ए) की प्रयोज्यता के लिए कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि 01.07.2024 को कोई जांच लंबित नहीं थी।

23. वास्तव में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही दीपू और अन्य, सुप्रा में इसी तरह का विचार व्यक्त किया है। ऐसा करते समय, इसने XXXX बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और अन्य के मामले में लिए गए दृष्टिकोण को भी अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, जिस पर बाद में केरल उच्च न्यायालय ने अब्दुल खादिर बनाम केरल राज्य 4 के मामले में भरोसा किया था कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 4 और धारा 531 के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं, जिसके परिणामस्वरूप 01.07.2024 से पहले लंबित किसी भी अपील / आवेदन / पुनरीक्षण / याचिका / परीक्षण / या जांच को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान के अनुसार जारी रखा जाना, आयोजित किया जाना या बनाया जाना (जैसा भी मामला हो) आवश्यक है। दूसरे शब्दों में; 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई कोई भी अपील/आवेदन/संशोधन/याचिका, BNSS 2024 के प्रावधान के तहत दायर/संस्थागत की जानी आवश्यक है।

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरा मत है कि 01.07.2024 से पहले किए गए IPC के तहत अपराधों के लिए 01.07.2024 को या उसके बाद दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में, लागू प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में

निर्धारित अनुसार होगी। निर्णय की पिछली कला में तैयार किए गए प्रश्न (सी) का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

25. कृष्ण जोशी बनाम राजस्थान राज्य में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए जाने पर, एफआईआर 02.02.2024 को आईपीसी की धारा 406/420 के तहत दर्ज की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि धारा 531(2) [बीएनएसएस] में बचत खंड यह निर्धारित करता है कि [दंड प्रक्रिया संहिता] के निरसन के बावजूद, नई संहिता के लागू होने से पहले लंबित कोई भी अपील, आवेदन, परीक्षण, या जांच पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा शासित होती रहेगी। यह माना गया कि यदि सीआरपीसी के तहत 01.07.2023 (एसआईसी 2024) से पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, तो यह बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) के अर्थ में लंबित जांच/जांच के बराबर होगी। यह भी देखा गया कि बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) के मद्देनजर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीएनएसएस, 2023 के लागू होने से पहले सभी लंबित मामले, जैसा कि इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, पुराने कोड यानी सीआरपीसी, 1973 द्वारा शासित होते रहेंगे।

26. कृष्ण जोशी मामले में, एफआईआर 02.02.2024 को दर्ज की गई थी। एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका शुरू में 01.07.2024 को दायर की गई थी। इस प्रकार, निरस्तीकरण याचिका (01.07.2024 को दायर) लंबित नहीं थी, हालांकि एफआईआर की जांच बीएनएसएस, 2023 के लागू होने से पहले लंबित थी। इस प्रकार 01.07.2024 को दायर निरस्तीकरण याचिका बीएनएसएस की धारा 531 की उपधारा (2) के खंड (ए) के बचत प्रावधानों द्वारा कवर नहीं की गई थी, जिसका सीआरपीसी के अनुसार निपटारा किया जाना आवश्यक था। हालांकि, गलती से यह माना गया कि एफआईआर को रद्द करने की याचिका को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत माना जाना था।

27. ऊपर दिए गए विधि प्रश्न (क) और (ख) के उत्तरों के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि एक बार जब भारतीय दंड संहिता 1 जुलाई 2024 से निरस्त हो जाती है, तो आईपीसी प्रावधानों के तहत अपराधों को शामिल करते हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है और केवल इस आधार पर, आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर को उसमें निहित आरोपों के गुण-दोष के बिना रद्द कर दिया जाना चाहिए।

28. अब मामले में एफआईआर के गुण-दोष पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान पीपी और शिकायतकर्ता-निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुनने और एफआईआर की सामग्री के अवलोकन के बाद, मेरा विचार है कि मामले में एफआईआर को रद्द करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण/आधार हैं। आइए अब उन कारणों/आधारों को देखें।

28.1. उचित विश्लेषण के लिए, आगे बढ़ने से पहले एफआईआर के अनुवादित संस्करण को पुनः प्रस्तुत करना उचित है। नीचे दिया गया विवरण इस प्रकार है:-

> i. मैं, सतीश कुमार, पुत्र श्री बाबूलालजी, श्री माली जाति, निवासी भीनमाल, निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं: मेरी दिवंगत मां, श्रीमती स्वाति देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलालजी, निवासी भीनमाल, के पास अन्य संपत्ति के अलावा कृषि भूमि थी। उनकी संपत्तियों में मौजा भीनमाल में स्थित पुराना खसरा नंबर 2303/4, अब खसरा नंबर 4322, रकबा 0.11 हेक्टेयर वाला एक खेत था। जमाबंदी दिनांक 08-01-2021 की प्रति संलग्न है।
>
> ii. मेरी मां, श्रीमती भगवती देवी, 85 वर्ष की आयु में संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी आई थी। इसका फायदा उठाकर मेरे भतीजे विजय कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति श्री माली निवासी 137 केन्द्रीय विद्यालय स्कीम जोधपुर ने दिनांक 05-10-2021 को जोधपुर में फर्जी वसीयत बनवा ली। इस फर्जी वसीयत में उसने उक्त खसरा नम्बर 2303/4, नवीन खसरा नम्बर 4322 में से 500.4 वर्ग गज भूमि अपने नाम करवा ली। वसीयत की प्रति संलग्न है।
>
> iii. श्रीमती भगवती देवी की दिनांक 03-01-2022 को मृत्यु हो जाने के पश्चात विजय कुमार ने स्थिति का फायदा उठाते हुए वसीयत में फर्जीवाड़ा कर तथा दस्तावेजों में हेराफेरी कर वसीयत में उल्लेखित 500.4 वर्ग गज के स्थान पर खसरा नम्बर 2303/4 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.11 हेक्टेयर (1328.34 वर्ग गज) अपने नाम करवा लिया। यह काम हलका पटवारी और राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से किया गया और भीनमाल के तहसीलदार ने 29-04-2022 को इस नामांतरण को मंजूरी दे दी। नामांतरण की प्रति संलग्न है।
>
> iv. हलका पटवारी और राजस्व निरीक्षक को पता था कि वसीयत में पुराने खसरा नंबर 2303/4 से केवल 500.4 वर्ग गज ही शामिल है। हालांकि, विजय कुमार ने दस्तावेजों में हेराफेरी करके 0.11 हेक्टेयर का

पूरा क्षेत्रफल दर्शाया। यह कार्रवाई कानूनी प्रावधानों और वसीयत की वास्तविक सामग्री के विपरीत थी।

v. विजय कुमार ने श्रीमती भगवती देवी की उम्र और कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए शुरू में 500.4 वर्ग गज की वसीयत तैयार की और पंजीकृत कराई। उनकी मृत्यु के बाद, उसने रोडो की ढाणी निवासी नागजी के पुत्र प्रहलाद के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी करके खसरा नंबर 2303/4 में संपूर्ण 0.11 हेक्टेयर क्षेत्र को धोखाधड़ी से अपने नाम पर स्थानांतरित करने की साजिश रची। प्रहलाद, जो वसीयत की धोखाधड़ी प्रकृति से अवगत था, ने इस प्रक्रिया में विजय कुमार की मदद की।

vi. यह पता चलने पर, मैंने विजय कुमार और प्रहलाद से बात की और उन पर धोखाधड़ी वाली वसीयत का उपयोग करने और अवैध नाम हस्तांतरण के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप लगाया। दोनों व्यक्तियों ने बेशर्मी से जवाब दिया, कहा कि उन्होंने वही किया जो वे करना चाहते थे और उन्हें मेरी आपत्तियों की कोई परवाह नहीं है।

vii. इस प्रकार विजय कुमार, प्रहलाद, हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने मिलकर मेरी पुश्तैनी जमीन को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करके अवैधानिक कार्य किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि मामला दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

28.2. एफआईआर (ऊपर पुनः प्रस्तुत) की सामग्री स्वयं बोलती है और भले ही इसमें लगाए गए आरोपों को अफवाह माना जाए, लेकिन पहली नजर में कोई अपराध नहीं बनता है।

28.3. एफआईआर आईपीसी की धारा 420/406/467/468/471 और 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। आइए एफआईआर के आरोपों का विश्लेषण करें, साथ ही आईपीसी की संबंधित धाराओं का भी विश्लेषण करें, जो बाद के उप-पैरा में लागू की गई हैं।

ए. धारा 420:- धारा 420 के तत्व गायब हैं क्योंकि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि

i) शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया था।

ii) याचिकाकर्ता द्वारा कौन सी मूल्यवान सुरक्षा या दस्तावेज बनाया, बदला या नष्ट किया गया और कैसे;

धारा 420 के अनुसार अभियुक्त को बेईमानी से किसी को संपत्ति सौंपने या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हालांकि, एफआईआर में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि सतीश कुमार (शिकायतकर्ता) को विजय कुमार को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा किसी "मूल्यवान प्रतिभूति" को बनाए जाने, उसमें परिवर्तन किए जाने या उसे नष्ट किए जाने का भी कोई आरोप नहीं है। एफआईआर में केवल इतना कहा गया है कि विजय कुमार ने श्रीमती भगवती देवी की मृत्यु के "बाद" वसीयत और संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी की। संपत्ति उनके कब्जे में रहने के दौरान शिकायतकर्ता या किसी अन्य के प्रति कोई प्रलोभन नहीं है। "बेईमानी से प्रलोभन" और "संपत्ति सौंपने" के कानूनी तत्व गायब हैं, जिसका अर्थ है कि धारा 420 लागू नहीं हो सकती। इन मुख्य तत्वों के बिना, आरोप कानूनी रूप से अस्थिर है।

B. धारा 406:-

धारा 406 के तत्व भी गायब हैं क्योंकि एफआईआर में संपत्ति सौंपने का कोई आरोप नहीं है।

इसके अलावा, धारा 406-420 परस्पर विरोधी हैं। 406 में संपत्ति सौंपना आवश्यक है, जबकि 420 में संपत्ति बेईमानी से प्रलोभन और धोखाधड़ी से प्राप्त की जाती है, जो कि सौंपने से भिन्न है।

धारा 406 के अनुसार संपत्ति किसी को सौंपी जानी चाहिए और फिर उसका गलत उपयोग या दुरुपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, एफआईआर में विजय कुमार या किसी अन्य आरोपी को संपत्ति सौंपने का कोई आरोप नहीं है। आपराधिक विश्वासघात के आरोप के लिए, किसी को उचित तरीके से संभालने की उम्मीद के साथ संपत्ति देने का एक विशिष्ट कार्य होना चाहिए, जिसका उल्लंघन किया जाता है। यहां, इस तरह के किसी सौंपने का उल्लेख नहीं है। विचाराधीन संपत्ति वसीयत का हिस्सा थी, न कि ऐसी कोई चीज जिसे सतीश कुमार ने विजय कुमार को सौंपा था। वास्तव में, शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच संबंध, जैसा कि वर्णित है,

"सौंपने" की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता है। इसके बिना, धारा 406 लागू नहीं की जा सकती।

सी. धारा 467/468:-

एफआईआर में वसीयत या संपत्ति के हस्तांतरण के लिए रिकॉर्ड की जालसाजी के बारे में कोई विवरण और सामग्री नहीं है। धारा 467 और 468 मूल्यवान दस्तावेजों और अभिलेखों की जालसाजी से संबंधित हैं, लेकिन एफआईआर में विशिष्ट विवरण का अभाव है जो इन अपराधों के आवश्यक तत्वों को संतुष्ट करेगा। एफआईआर में वसीयत को "नकली" बताया गया है और संपत्ति के अभिलेखों में हेरफेर का दावा किया गया है, लेकिन इस बात का विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है कि वसीयत को कैसे जाली बनाया गया या बदला गया। ये यह बताने में विफल रहता है कि दस्तावेज़ को किसने जाली बनाया, इसे कैसे जाली बनाया गया, या वसीयत का कौन सा विशिष्ट हिस्सा झूठा था। ऐसा कोई सबूत या आरोप नहीं है कि विजय कुमार ने "जालसाजी के माध्यम से वसीयत बनाई"। एफआईआर में केवल वसीयत बनाने के बाद हेरफेर का दावा किया गया है, जो आईपीसी की धारा 467 या 468 के तहत जालसाजी नहीं है। जालसाजी के आरोप को बनाए रखने के लिए "स्पष्ट और विशिष्ट आरोप" की आवश्यकता होती है, और "नकली वसीयत" का अस्पष्ट संदर्भ इन आरोपों को सही ठहराने के लिए आवश्यक कानूनी मानक को पूरा नहीं करता है।

डी. धारा 471:-

जब जालसाजी के तत्व गायब होते हैं, तो जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का अपराध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। धारा 471 के अनुसार, जाली दस्तावेज को जानबूझकर असली के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि, एफआईआर यह साबित करने में विफल रही कि वसीयत को पहले स्थान पर जाली बनाया गया था। जालसाजी के तत्वों की अनुपस्थिति में, यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि पहले ही कहा गया है, "नकली वसीयत" के आरोप यह संकेत नहीं देते हैं कि वसीयत को किस तरह से धोखाधड़ी से बदला गया या गलत तरीके से पेश किया गया जिससे यह कानूनी रूप से अमान्य हो गया।

ई. धारा 120-बी:

प्राथमिकी में किसी भी मुख्य अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के किसी भी अपराध के लिए साजिश में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्राथमिकी में धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया है, लेकिन आरोपी व्यक्तियों के बीच अवैध कार्य करने के लिए समन्वय या समझौते का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। केवल सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि विजय कुमार, प्रहलाद और सरकारी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से संपत्ति हस्तांतरित करने की साजिश रची। हालांकि, कोई ठोस आरोप नहीं है जो अपराध करने के लिए पहले से कोई समझौता या आपसी समझ दिखाता हो, जो धारा 120-बी के तहत आरोप के लिए आवश्यक है। समन्वित कार्यों के समर्थन सामग्री के बिना साजिश का केवल दावा अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि इस मामले में विचारों के मिलने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य का आरोप भी नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u>

29. संक्षेप में, आरोपों की अस्पष्ट और असमर्थित प्रकृति इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि एफआईआर में विवाद मुख्य रूप से वसीयत और संपत्ति अधिकारों की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो आपराधिक मामले के बजाय एक दीवानी मामला है। शिकायत का मूल श्रीमती भगवती देवी की मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण के बारे में है। ऐसे विवादों को आपराधिक आरोपों के बजाय उत्तराधिकार अधिकारों पर दीवानी मुकदमेबाजी के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। दीवानी विवादों को निपटाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाथ में मौजूद एफआईआर एक पारिवारिक संपत्ति विवाद को आपराधिक मामले में बदलने की कोशिश की तरह लगती है।

30. इस आधार पर, एक ओर, एफआईआर में लगाए गए आरोप धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी के तहत लगाए गए अपराधों के आवश्यक कानूनी तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं, दूसरी ओर, एफआईआर जारी रखने से याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक उत्पीड़न, अपमान और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह न्यायिक संसाधनों और राज्य अभियोजन मशीनरी को भी बर्बाद करेगा जो अनिवार्य रूप से एक नागरिक मामला है। इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

31. परिणामस्वरूप, यह अदालत/कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला लगता है।

32. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। पुलिस स्टेशन भीनमाल, जिला जालौर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी के अंतर्गत दिनांक 27.07.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 0299/2024 और परिणामी कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

33. यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।